International Journal of Applied Research 2018; 4(1): 326-328

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(1): 405-406
www.allresearchjournal.com
Received: 19-11-2017
Accepted: 22-12-2017

डॉ0 वीणा कुमारी
न्यू चकदह, मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 वीणा कुमारी
न्यू चकदह, मधुबनी, बिहार, भारत

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

डॉ0 वीणा कुमारी

सारांश
महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला द्वारा शक्ति और संसाधनों की प्राप्ति से है जिससे वे अपने विषय में महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके एवं दूसरों के द्वारा लिए गये गलत निर्णयों के विरूद्ध आवाज उठा सके। प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है तथा महिला शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का दर्शाने का प्रयत्न किया गया है तथा महिला सशक्तिकरण से होने वाले लाभ को दिखाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– सशक्तिकरण, नारीवाद, आर्थिक योगदान सह सम्बन्ध, प्रजातांत्रिक एवं मूलभूत

प्रस्तावना
भारतीय समाज के पृष्ठभूमि में नारी का स्थान पूजनीय एंव सर्वोपरी रहा है। भारतीय समाज के परिवेश में उसकी महत्ता को भुलाया नहीं जा सकता। एक ओर नारी पुत्री के रूप में घर की शोभा बढ़ाती है, माँ बनकर बच्चे का पालन पोषण करती है, पत्नी बनकर परिवार तथा पति का साथ देती है।

हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।

स्त्री को सृजन की शक्ति माना है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, न्याय तथा अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान कर स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की में बराबरी के मौके मिल सके।

लेकिन नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ इनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठा सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों एवं मूल्यों को मारने वाली उन राक्षसी सोच जैसे कि दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, कन्या भ्रुण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा को मारना जरूरी है। अपने समाज में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तभी समझ में आयेगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा ताकि वे हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सके।

उद्देश्य
महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं के शैक्षिक स्तर का विश्लेषण करना है तथा महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्म विश्वास का संचार करना है। महिला सशक्तिकरण देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे रचनाकार होती है। यदि उन्हें सशक्त करें शक्तिशाली बनाएँ, प्रोत्साहित करें तो यह देश के लिए अच्छा है। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। उसके उद्देश्य में महिलाओं के विकास के लिए साकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है जिससे महिलाएँ अपनी क्षमता को साकार कर सकें तथा स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सके।

पाठ परिचर्चा

शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास की रीढ़ है। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य व्यक्ति का बहुमुखी विकास कर उसे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह सफलता पूर्वक करने योग्य बनाता है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास मानते हैं ताकि वह अपने परिवार तथा समुदाय की मान्यताओं, मूल्यों स्वस्थ परम्पराओं, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के साथ समायोजन स्थाति कर सकें। देश में बालिकाओं के साथ समायोजन स्थापित कर सके। देश में बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हें शिक्षित ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा को रोजगार परक बनाया गया है। इस दिशा में शिक्षा एक अहम भूमिका निभा रही है। इसकी सार्थकता तो इसी से स्पष्ट होती है कि छात्र एवं छात्राऐं शिक्षा से अर्जित ज्ञान, योग्यताओं एवं कौशल का प्रयोग अपने पारिवारिक एवं सामुदायिक परिवेश के उत्थान में कर रही है। विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ने वाली प्रत्येक छात्र–छात्राओं की रूचियाँ, आवश्यकताएँ तथा परिवार का आर्थिक एवं सामाजिक पृष्टिभूमि भिन्न–भिन्न होती है। यदि शिक्षा इसी पृष्टिभूमि के संदर्भ में की जाएगी तो वह निश्चित ही भारतीय समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। जिसके फलस्वरूप महिलाएँ शैक्षणिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ कर हिस्सा ले रही है एवं पुरूषों के कन्धा से कन्धा मिलाकर चल रही है। आज समय के मांग के अनुकूल बालिकाओं को साक्षर ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा को रोजगार परक बनाया गया है। रोजगार से संबंधित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे सिलाई, धुलाई, कढ़ाई, उपलबध सस्ते साधनों जैसे–बांस, लकड़ी एवं बेंत आदि से सजावट एवं रोजमर्रा की वस्तुएँ, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुटीर उद्योगों एवं पशुपालन मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन का ज्ञान प्राप्त करती है।

हमारे देश की महिलाओं की संख्या का अधिकांश भाग गाँव में रहती है। महिलाओं द्वारा ही घर के आवश्यक कार्य बच्चों का पालन पोषण, खाना बनाना, गृह सज्जा, अनाज भंडारण, खाद्य संरक्षण, पशुपालन और खेती से संबंधित कार्य किए जाते हैं।

ग्रामीण भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ हैं–

बाल विवाह

अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च से जोड़ते हैं। इसी कारण वे लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहाँ वे उनके लिए सुयोग्य वर ढूढ़ सके। छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियाँ आगे पढ़ाई नहीं कर पाती।

लड़के और लड़कियों में भेदभाव

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें लड़कों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पढ़ने के साथ–साथ रोजगार का रास्ता मिलने से ही लड़कियाँ आगे बढ़ पाएंगी। समृद्ध समाज का निर्माण करने के लिए लड़कियों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा, तभी समाज में मुकाम हासिल होगा। लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की बेहद आवश्यकता है। रूढ़िवादी मानसिकता के चलते ही लड़कियाँ पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाती हैं। शिक्षा के अभाव में वे न केवल अपने अधिकारों को पहचान पाती हैं और न ही समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाती है। इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना अनिवार्य है। वर्ष 1990 में चेतना संस्था की शुरूआत की गई थी। संस्था के माध्यम से स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षित किया गया और उनको रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाए गए जिससे वे आत्म निर्भर बन सकी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लड़कियों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसकी गति धीमी है। इसके लिए महिलाओं को भी अपने अधिकार के साथ–साथ कर्त्तव्य का भी बोध होना आवश्यक है। जिसके लिए महिलाओं को स्वयं ही आगे आना होगा।

यदि वे पुरूषों के बराबर अधिकार चाहती हैं तो उन्हें अपने कर्त्तव्यों को भी बोध हो आवश्यक है। लड़कियाँ आज शिक्षित जरूर हैं लेकिन वे इस शिक्षा से जीवन को सही दिशा में नहीं दे पा रही हैं। जब वे रोजगार की सीढ़ी तक पहुँचती हैं तो शादी या घर की जिम्मेदारी का हवाला देकर पढ़ाई छुड़वा दी जाती हैं।

इसलिए नारी को सशक्त बनाने के लिए सभी को एकजुटता के साथ प्रयास करने होंगे।

महिला सशक्तिकरण की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 08 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरूआत मानी जाती है। भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित भिन्नताओं को दूर करने के लिए महान नीति 1953 अपनाई। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की नीति अपनाई थी।

महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं :–

''शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी।''

सन् 1983 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है।''

उपरोक्त विवेचन से महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट होती है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुए भी उपेक्षित है। कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बाजवूद महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि दृष्टियों से महिलाएँ अभी भी पिछड़ी हुई है।

स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता।

समाज का विकास

महिला सशक्तिकरण का मुख्य लाभ समाज से जुड़ा हुआ है। यदि हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है तो महिलाओं को भी शक्तिशाली बनाना होगा। महिला के विकास का मतलब होता है कि आप एक परिवार का विकास कर रहे हैं। यदि महिला शिक्षित होगी तो वे अपने परिवार को भी पढ़ा लिखा बनाने की कोशिश करेगी। जिसके चलते हमारे देश को पढ़े–लिखे नौजवान मिलेंगे। जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे।

घरेलु हिंसा में कमी

घरेलु हिंसा एक ऐसी समस्या है जो किसी भी महिला के साथ हो सकती है। ये जरूरी नहीं की वे अशिक्षित ही हों। शिक्षिक महिलाएँ भी इसका शिकार हो सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पढ़ी लिखी महिलाऐं इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती है। वहीं अशिक्षित महिलाऐं ऐसी हिंसा के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने से डरती हैं। वहीं महिलाओं को शिक्षित होने घरेलु हिंसा में ना केवल कमी आएगी बल्कि घरेलु हिंसा के विरूद्ध सजा दिलवाने के लिए भी आगे आएगी।

आत्म निर्भर बनाना

हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि केवल घर की ही देखभाल करनी है। अभी भी गाँव में लड़कियाँ को पढ़ाई से ज्यादा घर के काम सिखाए जाते हैं। जो लड़कियों के भविष्य के साथ–साथ देश के विकास में भी बाधक है।

लड़कियों के अशिक्षित होने का मतलब 40 प्रतिशत आबादी का अशिक्षित होना। यदि हम लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे तो हमारे देश की महिलाऐं केवल रसोई तक ही सीमित रह जाएगी।

प्रतिभा का विकास

कई ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिसमें कई प्रतिभा होती है। लेकिन सही मार्गदर्शन और शिक्षा नहीं मिलने से उसकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता है। यदि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाय तो वे अपनी हुनर को पहचान कर सकेगी और देश के विकास के लिए कार्य कर सकेगी।

गरीबी कम करने में सहायक

महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा गया है कि इतनी महंगाई के जमाने में कभी–कभी परिवार के पुरूष के द्वारा अर्जित धन परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। वहीं महिलाओं की अतिरिक्त आय परिवार को गरीबी के रास्त से बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए गरीबी को कम करने के लिए शिक्षित होने के साथ–साथ कामकाजी होना भी आवश्यक है।

समाज में समानता मिलना

महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा लक्ष महिलाओं को पुरूषों के समान समानता देना है। अभी भी दुनियाँ में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को पुरूषों की तरह अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनको ना अपनी बात कहने की ना निर्णय लेने की आजादी दी गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण के जरिए ऐसी महिलाओं का विकास करने पर जोर दिया जाता है ताकि वे महिलाऐं बोलने की आजादी का लाभ उठा सकेंगी तथा अपनी राय समाज के सामने रख सकें।

भारत में महिलाओं के लिए चलाई गई योजना

भारत सरकार ने देश की महिलाओं के विास के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई हैं। इन योजनाओं की मदद से सरकार महिलाओं को सशक्त करना चाहती हैं।

नेशनल मिशन फॉर इम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमन

इस मिशन को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2011 को शुरू किया था। यह मिशन राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर शुरू किया गया। इस मिशन की मदद से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया जा रहा है।

बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना

लड़कियों के कल्याण और उनके पढ़ाई के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लक्ष्य से इस योजना को चलाया गया था। इस योजना के जरिये लड़कियों के परिवार वालों को उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की के बोझ की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए गए कुछ अधिनियम

कानूनी अधिकार के साथ–साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा कुछ अधिनियम पास किए गये हैं–

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
2. दहेज रोक अधिनियम 1961
3. बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006
4. एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
5. लिंग परीक्षण एक्अ 1994
6. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का प्रभाव

यद्यपि लक्ष्य पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न सरकारी गैर सरकारी व अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से महिलाओं के प्रारंभिक जीवन और कार्यशैली में धीरे–धीरे बदलाव आ रहा है। शिक्षा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यातायात सुविधाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप महिलाओं, बालिकाओं में बदलाव आया है। इन प्रयासों में महिलाऐं स्वयं जागृत हो वह अपने आस–पास की महिलाओं को भी जागृत कर रही हैं। स्वयं सहायता समुह बनाती हैं। स्वरोजगार की ओर भी जा रही हैं।

निष्कर्ष

जिस तरह से हमारा देश दुनिया के तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरूद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना होगा और उसे हटाना होगा, जो समाज की पितृ सत्तात्मक और पुरूष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरूद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में बदलाव लाए।

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकिल आदि बन चुकी, लेकिन काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। कुछ ही महिलाओं के उत्थान से पूरे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। उन्हें शिक्षा और आजादी पूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा करने, सुरक्षित कार्य करने और सामाजिक आजादी में भी और सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि भारत की आर्थिक–सामाजिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रगति पर निर्भर करती है।

इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी है।

आज की नारी अब जागृत हो चुकी है। ''नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। वर्तमान में नारी रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी सहयोग और प्रयास की आवश्यकता है। इन प्रयासों में महिलाएँ स्वयं जागृत हो अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाएँ। इसके साथ–साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए परिवार के पुरूष सदस्यों को भी महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। जागरूकता, शिक्षा, सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। मंजिल दूर सही लेकिन सभी मिलकर प्रयास करे तो इसे पाना असंभव नहीं है।

संदर्भ

1. V Devi Women's and Rural Development. Mittal Publication, New Delhi 1990.
2. Desai V. Rural Development in India. Himalaya Publishing House, Bombay 1992.
3. Sixth Seventh & Eight Five year's Plan 1982 & 9. Planning commission Govt. of India.
4. Report of Mahila Ayoug Publication division Govt. of India 1994.
5. SN Mishra. New Horizon in Rural Development 1994.
6. Women's participation in work India Council of social science research, Delhi.